जिला–मधुबनी **दिनांक–12.05.2026**

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी

सत्र वाद संख्या : 164 / 2019

साधारण पंजी वाद संख्या–1005 / 2012

फुलपरास थाना कांड सं0–209 / 2012

सरकार (द्वारा वेद प्रकाश कामत पिता–राम लखन कामत, सूचक)

साकिन–काशीराम पट्टी, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी

..... अभियोजन

बनाम

01. गोपाल कामत उर्फ महेन्द्र कामत पिता–स्व0 रामफल कामत (उम्र लगभग–61 वर्ष),

02. देवेन्द्र कामत पिता–स्व0 रामफल कामत (उम्र लगभग–40 वर्ष),

03. भोगेन्द्र कामत पिता–स्व0 सीताराम कामत (उम्र लगभग–50 वर्ष),

साकिनान–काशीरामपट्टी, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी

..... अभियुक्तगण

अपराध की तिथि:–14.07.2012

प्राथमिकी की तिथि:–14.07.2012

आरोप पत्र की तिथि:–31.12.2013

संज्ञान की तिथि:–30.11.2015

दौरा सुपुदर्गी की तिथि:–28.03.2019

आरोप गठन की तिथि:–20.09.2024, 06.01.2025

साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–21.11.2024

निर्णय पर नियत करने की तिथि:–12.05.2026

निर्णय की तिथि:–12.05.2026

सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह

निर्णय तिथि–12.05.2026

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. गोपाल कामत उर्फ महेन्द्र कामत, 02. देवेन्द्र कामत एवं 03. भोगेन्द्र कामत का भा0द0वि0 की धारा–323 / 34, 341 / 34, 324 / 34, 504 / 34, 307 / 34 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

02. अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचक वेद प्रकाश कामत के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक का सिमेंट खराब हो रहा था तो वह अपना निजी जमीन में दिनांक 14.07.2012 को 12:30 बजे दिन में मजदूर से घर में कार्य करा रहा था। उसी बीच कुछ महिला सूचक को गाली–गलौज करने लगे जिसे वह गाली देने से मना किया उसी क्रम में गोपाल कामत, देवेन्द्र कामत फरसा, लाठी लेकर आये। गोपाल कामत के हाथ में फरसा था जो जान मारने के नीयत से फरसा से मारा, जो फरसा सूचक के सिर में लगा और सूचक का सिर फट गया।

सूचक लहुलुहान होते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच भोगेन्द्र कामत, वृहस्पति कामत, इन्द्रकला देवी, रीता देवी ने मिलकर सूचक को पटकर जख्मी अवस्था में लाठी से मार रहे थे। जिससे सूचक बुरी तरह और जख्मी हो गया। इस घटना को सूचक का भाई संतोष कुमार कामत तथा गांव के प्रमोद चौधरी वगैरह लोग ने देखा है।

03. सूचक के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना फुलपरास में भा0द0वि0 की धारा–341, 323, 324, 307, 504, 34 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–209/2012 दिनांकित–14.07.2012 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–341/323/324/307/504/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–309/2013 दिनांक 31.12.2013 को न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्तगण 01. गोपाल कामत उर्फ महेन्द्र कामत, 02. देवेन्द्र कामत के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–323/34, 341/34, 324/34, 504/34, 307/34 के अंतर्गत दिनांक–20.09.2024 एवं 03. भोगेन्द्र कामत के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–323/34, 341/34, 324/34, 504/34, 307/34 के अंतर्गत दिनांक–06.01.2025 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

06. निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

07. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में एक मात्र साक्षी वेद प्रकाश कामत को मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर साक्षी सं0–01 सूचक वेद प्रकाश कामत के हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 अंकित कराया गया है।

09. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–323/34, 341/34, 324/34, 504/34, 307/34 के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में एक मात्र मौखिक साक्षी को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर साक्षी सं0–01 सूचक वेद प्रकाश कामत के हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 अंकित कराया गया है।

11. लिखित आवेदन के अनुसार, सूचक का सिमेंट खराब हो रहा था तो वह अपना निजी जमीन में दिनांक 14.07.2012 को 12:30 बजे दिन में मजदूर से घर में कार्य करा रहा था। उसी बीच कुछ महिला सूचक को गाली–गलौज करने लगे जिसे वह गाली देने से मना किया उसी क्रम में गोपाल कामत, देवेन्द्र कामत फरसा, लाठी लेकर आये। गोपाल कामत के हाथ में फरसा था जो जान मारने के नीयत से फरसा से मारा, जो फरसा सूचक के सिर में लगा और सूचक का सिर फट गया। सूचक लहुलुहान होते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच भोगेन्द्र कामत, वृहस्पति कामत, इन्द्रकला देवी, रीता देवी ने मिलकर सूचक को पटकर जख्मी अवस्था में लाठी से मार रहे

थे। जिससे सूचक बुरी तरह और जख्मी हो गया। इस घटना को सूचक का भाई संतोष कुमार कामत तथा गांव के प्रमोद चौधरी वगैरह लोग ने देखा है।

12. उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा सूचक वेद प्रकाश कामत को अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि उसने सभी मुदालहों के साथ सुलह कर लिया है। सुलहनामा के आवेदन पर उसने हस्ताक्षर किया है। भोगेन्द्र कामत से भी सुलह हो चुका है। मुदालहो ने भी उसके उपर पलटा मुकदमा किया है। पलटा मुकदमा भी सुलह हो गया। दोनो के बीच जमीनी विवाद था इसलिए मुकदमा हो गया है। कौन मुदालह के हाथ में क्या था, वह नहीं बता सकता है। कौन मुदालह किस चीज से मारपीट किया, वह नहीं बता सकता है। मुदालहगण दियाद है इसलिए पहचानता है। आवेदन में भाई ने लिखा था और उन्होने ही कहा था की हस्ताक्षर कर दो तो उसने हस्ताक्षर कर दिया था। आवेदन में क्या लिखा था, वह नही बता सकता है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा चिकित्सक, विवेचक सहित अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परीक्षित साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। उभय पक्ष द्वारा समझौता एवं अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है। जिस पर सभी आवश्यक पक्षकारों का निशान/हस्ताक्षर है।

13. इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं लिखित आवेदन में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–323/34, 341/34, 324/34, 504/34, 307/34 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालहगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–323/34, 341/34, 324/34, 504/34, 307/34 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

आ दे श

15. अभियुक्तगण **01. गोपाल कामत उर्फ महेन्द्र कामत** पिता–स्व0 रामफल कामत, **02. देवेन्द्र कामत** पिता–स्व0 रामफल कामत एवं **03. भोगेन्द्र कामत** पिता–स्व0 सीताराम कामत, साकिनान–काशीरामपट्टी, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी का भा0द0वि0 की धारा–323/34, 341/34, 324/34, 504/34, 307/34 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदार अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं। कार्यालय, निर्णय की प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) **लेखापित**

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
12.05.2026

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
12.05.2026

पीठासीन पदाधिकारी–अनिल कुमार राम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर
निर्णय तिथी–12.05.2026
अपलोड की तिथि–12.05.2026
अपलोड के द्वारा– आनंद सिंह